डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति पत्र क्र. भोपाल-एम.पी. वि.पृ.पृ./04 भोपाल-2002.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन एम. पी. 108/भोपाल/2002.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 496] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2002—आश्विन 26, शक 1924

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2002

क्र. एफ. 5-46-2002-पचपन-चिशि-1.—मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 34 तथा 39 के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् (रजिस्टर का संधारण, प्रकाशन तथा पुनरीक्षण और अपील) नियम, 2001 है.

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001);

(ख) "परिषद्" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्;

(ग) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(घ) "रजिस्टर" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 34 तथा 39 के अधीन संधारित रजिस्टर;

(ङ) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा; और

(च) "वर्ष" से अभिप्रेत है केलेण्डर वर्ष.

3. **सह चिकित्सीय व्यवसायियों का राज्य रजिस्टर.**—(1) रजिस्टर प्ररूप-एक में होगा;

(2) रजिस्टर का प्रत्येक पृष्ठ रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित तथा हस्ताक्षरित किया जाएगा;

(3) नामांकित व्यवसायी के पते में किसी परिवर्तन की सूचना ऐसे व्यवसायी द्वारा रजिस्ट्रार को दी जाएगी तथा रजिस्ट्रार, तद्नुसार, परिवर्तित पतों की रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा.

4. **रजिस्टर का प्रकाशन.**—(1) रजिस्ट्रार प्रत्येक पांच वर्ष में रजिस्टर का पुनरीक्षण करेगा और उसमें निम्नलिखित प्रविष्टि करेगा—

(एक) पूर्व में नामांकित व्यवसायियों की संख्या;

(दो) रजिस्टर के पुनरीक्षण के पूर्ववर्ती पांच वर्ष की कालावधि के दौरान नामांकित व्यवसायियों की संख्या;

(तीन) ऐसे व्यवसायियों के नाम, जिनके नाम रजिस्टर में प्रत्यावर्तित किए गए हो;

(चार) उन व्यवसायियों की संख्या, जिनके नाम रजिस्टर के पुनरीक्षण के पूर्ववर्ती पांच वर्ष की कालावधि के दौरान रजिस्टर से हटाए गए हों, अधिनियम की वह धारा तथा उपधारा कथित करते हुए जिनके अधीन नाम हटाए गए हों; और

(पांच) उन व्यवसायियों की संख्या, जिनके नाम रजिस्टर के पुनरीक्षण के पूर्ववर्ती पांच वर्ष की कालावधि के दौरान मृत्यु के कारण रजिस्टर से हटाए गए हों.

(2) प्रथम रजिस्टर, प्रथम परिषद् के गठन की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात् 180 दिन के भीतर "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित किया जाएगा.

(3) पुनरीक्षित रजिस्टर, रजिस्टर के पुनरीक्षण के पूर्ववर्ती पांच वर्ष की कालावधि के पूर्ण होने के पश्चात् 180 दिन के भीतर "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित किया जाएगा तथा उन नामांकित व्यवसायियों को, जो पुनरीक्षण के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हों, उन पर हुए प्रतिकूल प्रभाव के बारे में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा सूचना दी जाएगी.

(4) इस प्रकार प्रकाशित यथास्थिति प्रथम रजिस्टर या पुनरीक्षित रजिस्टर की एक प्रति परिषद् के सूचना पटल पर लगाई जाएगी.

(5) रजिस्टर की मुद्रित प्रतियां ऐसे मूल्य पर, जो कि परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए, विक्रय के लिए उपलब्ध कराई जा सकेंगी.

(6) रजिस्ट्रार, रजिस्टर की एक ऐसी मुद्रित प्रति रखेगा, जिसमें दो पृष्ठों के बीच में एक नया पृष्ठ जोड़ा हुआ हो, जिसमें वह प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसी प्रविष्टि, परिवर्तन या कांट-छांट करेगा, जो कि आवश्यक हो.

5. **रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन तथा फीस.**—धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन नामांकन के लिए आवेदन-पत्र प्ररूप-दो में होगा तथा उसके साथ रुपये 400.00 फीस का भुगतान करने बाबत् समाधानप्रद सबूत तथा मान्य अर्हताओं के प्रमाण-पत्र की सत्य प्रति, जो किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित की गई हो, संलग्न होगी. आवेदक, अपने आवेदन-पत्र के समर्थन में ऐसे अन्य प्रमाण-पत्रों तथा दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियां भी संलग्न कर सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे तथा रजिस्ट्रार आवेदक से ऐसे अन्य प्रमाण-पत्रों तथा शंसा-पत्रों या मूल प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जिनका कि सत्यापन आवश्यक समझा जाए.

6. **रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र.**—प्रत्येक नामांकित सह-चिकित्सीय व्यवसायी को प्ररूप-तीन में नामांकन का एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा. ऐसा प्रमाण-पत्र खो जाने, विरूपित हो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में, रुपये 25.00 फीस का भुगतान करने पर उसकी दूसरी प्रति रजिस्ट्रार द्वारा जारी की जाएगी और इस प्रकार जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर शब्द "दूसरी प्रति" अंकित होगा.

7. **फीस का भुगतान करने की रीति.**—अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन भुगतान की जाने के लिए अपेक्षित फीस मनीआर्डर, मांगदेय (डिमांड ड्राफ्ट) द्वारा या नगद में भुगतान की जाएगी. उस दशा में, जबकि फीस का भुगतान नगद में किया गया हो, तो उसके लिए रजिस्ट्रार से एक रसीद अभिप्राप्त की जा सकेगी.

8. **अपील का ज्ञापन.**—(1) अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपील—

(क) उस आदेश के, जिसके कि विरुद्ध अपील फाइल की जानी है, संसूचित किए जाने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर फाइल की जाएगी;

(ख) फीस रुपये 200.00 (रुपये दो सौ) के भुगतान करने बावत् समाधानप्रद सबूत के साथ होगी;

(ग) लिखित में होगी;

(घ) में अपीलार्थी का नाम तथा पता विनिर्दिष्ट होगा;

(ङ) में उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील फाइल की जाना है, तारीख विनिर्दिष्ट होगी;

(च) में वह तारीख विनिर्दिष्ट होगी जिस पर अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया गया था;

(छ) में तथ्यों का स्पष्ट विवरण अन्तर्विष्ट होगा;

(ज) आवेदित अनुतोष संक्षेप में कथित होगा; और

(झ) अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित प्ररूप में हस्ताक्षरित तथा सत्यापित की जाएगी, अर्थात्:—

"मैं उपरोक्त अपील के ज्ञापन में नामित अपीलार्थी, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि इसमें जो भी कथित किया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सही है."

हस्ताक्षर

(2) अपील के ज्ञापन के साथ उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, अभिप्रमाणिकृत प्रति संलग्न होगी जब तक कि अपीलार्थी, अपील प्रस्तुत किए जाने के समय, अपील प्राधिकारी का समाधान न कर दे कि ऐसे लोप के लिए पर्याप्त कारण है. उस दशा में, वह ऐसे समय के भीतर फाइल की जाएगी, जैसा कि उक्त प्राधिकारी द्वारा नियत किया जाए.

(3) अपील का ज्ञापन दो प्रतियों में होगा तथा वह या तो अपीलार्थी अथवा उसके अधिकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, या ऐसे प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा. जब अपील, अपीलार्थी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाए, तब उसके साथ उसे इस रूप में उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी का सम्यक् रूप से स्टांपित पत्र संलग्न होगा.

9. **अपील का संक्षिप्ततः नामंजूर किया जाना.**—(1) यदि अपील का ज्ञापन नियम 8 की अपेक्षाओं में से समस्त या किसी अपेक्षा का पालन नहीं करता है, तो अपील संक्षिप्ततः नामंजूर की जा सकेगी :

परन्तु इस उप नियम के अधीन कोई भी अपील संक्षिप्ततः तब तक नामंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलार्थी को अपील के ऐसे ज्ञापन में इस प्रकार संशोधन करने का, जिससे कि वह नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो जाए, ऐसा अवसर, जैसा कि अपील प्राधिकारी उचित समझे, न दे दिया जाए.

(2) कोई अपील ऐसे किन्हीं अन्य आधारों पर भी संक्षिप्ततः नामंजूर की जा सकेगी जो अपील प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किये जाएंगे:

परन्तु इस उप नियम के अधीन अपील नामंजूर करने वाले किसी आदेश के पारित करने के पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान किया जाएगा.

10. अपील की सुनवाई.—(1) यदि अपील प्राधिकारी अपील को संक्षिप्तत: नामंजूर नहीं करता है, तो वह अपीलार्थी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा.

(2) उक्त प्राधिकारी, किसी भी प्रक्रम पर अपील की सुनवाई को किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर सकेगा.

(3) यदि सुनवाई के लिए नियत तारीख पर या ऐसी किसी अन्य तारीख पर जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई है, अपीलार्थी, उक्त प्राधिकारी के समक्ष या तो व्यक्तिश: या अपीलार्थी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा उपस्थित नहीं होता है, तो उक्त प्राधिकारी अपील खारिज कर सकेगा या उसे एक पक्षीय घोषित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे.

(4) जब कोई अपील उप नियम (3) के अधीन खारिज की जाती है या एक पक्षीय विनिश्चित की जाती है, तो अपीलार्थी ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को उक्त अपील पुन: ग्रहण करने या पुन: सुनने के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि जब अपील की सुनवाई के लिए पुकार लगाई गई थी तब अपीलार्थी या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता उपस्थित होने से पर्याप्त कारण के आधार पर प्रवारित किया गया था, तो वह ऐसे निबंधनों पर, जिसमें खर्चे संबंधी निबंधन सम्मिलित हैं तथा ऐसी शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, अपील को पुनर्ग्रहित कर सकेगा या उसकी पुन: सुनवाई कर सकेगा.

(5) सुनवाई के पश्चात् अपील प्राधिकारी ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उपयुक्त तथा न्यायोचित समझे.

11. अपील में पारित आदेश की प्रति का प्रदाय.—अपील में पारित किए गए आदेश की प्रति अपीलार्थी को नि:शुल्क प्रदाय की जाएगी तथा दूसरी प्रति उस अधिकारी को भेजी जाएगी, जिसका कि आदेश अपील की विषय-वस्तु है.

प्ररूप-एक

[विनियम 3 (1) देखिए]

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्

सह-चिकित्सीय व्यवसायियों का राज्य स्तरीय रजिस्टर

अनु-क्रमांक	नामांकन क्रमांक	नाम पिता/पति के नाम सहित	पता	विश्वविद्यालय या बोर्ड के नाम सहित अर्हताएं तथा वह तारीख जब अभिप्राप्त की गई हों,	फीस	जन्म तारीख सहित आयु	व्यवसाय का स्थान	नामांकन की तारीख तथा स्थान	रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

प्ररूप-दो

नामांकन के लिए आवेदन-पत्र का प्ररूप

(विनियम 5 देखिए)

प्रति,

रजिस्ट्रार,
मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्,
भोपाल.

महोदय,

मैं, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 39 के अधीन संधारित सह-चिकित्सीय व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में मेरा नाम नामांकित किए जाने के लिए निवेदन करता हूं. कृपया मुझे नामांकन का प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाए.

2. नामांकन के लिए आवश्यक जानकारी नीचे दी गई है:—

उपाधियों, पत्रोपाधियों, प्रमाण-पत्रों तथा शंसापत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अभिप्रमाणित प्रतियां इसके साथ संलग्न है.

3. रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में रुपये 400.00 मनीआर्डर / बैंक ड्राफ्ट क्रमांक तारीख द्वारा भेज दिए गए हैं.

1. नाम (बड़े अक्षरों में पूर्ण)

2. पिता/पति का नाम

3. पता

4. जन्म तारीख तथा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख पर आयु

5. व्यवसाय का स्थान :

(क) शहर अथवा ग्राम

(ख) डाकघर

(ग) जिला

6. अर्हताएं तथा उन्हें प्राप्त करने की तारीख

7. उस महाविद्यालय या संस्था का नाम, जहां से उसने परीक्षा उत्तीर्ण की हो

8. वह तारीख जिससे आवेदक ने व्यवसाय प्रारंभ किया हो.

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य है तथा मैं वचन देता हूं कि मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिकथित किए गए व्यवसाय के शिष्टाचार के उन नियमों का पालन करूंगा जिनका व्यवसायी के रूप में पालन किया जाना है.

तारीख आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप-तीन
(विनियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल

(मुद्रा)

नामांकन का प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र क्र.

1. नाम
2. पिता / पति का नाम
3. पता
4. अर्हताएं
5. आयु
6. व्यवसाय का स्थान
7. नामांकन की तारीख

''यह प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल द्वारा संधारित सह-चिकित्सीय व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में ऊपर विनिर्दिष्ट नाम की प्रविष्टि की यह एक सत्यप्रति है.''

.

रजिस्ट्रार

भोपाल :
तारीख

.
मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनी उइके, उपसचिव.

क्र. एफ. 5-46-2002-पचपन-चिशि.-1.—मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 37 तथा 38 के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् (लेखा, संपरीक्षा तथा बजट) नियम, 2001 है.

(2) ये ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001);

(ख) ''परिषद्'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्;

(ग) ''सरकार'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है परिषद् का अध्यक्ष; और;

(ङ) ''रजिस्ट्रार'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया परिषद् का रजिस्ट्रार;

3. **लेखा पुंस्तकों का संधारण.**—रजिस्ट्रार निम्नलिखित पुस्तकें तथा रजिस्टर संधारित करेगा, अर्थात्,—

(1) रोकड़ बही;

(2) खाता;

(3) आवक-जावक रजिस्टर जिसमें डाक संबंधी लेखा सम्मिलित है;

(4) अनुपयोजयस्टाक रजिस्टर;

(5) मुद्रित प्रमाण-पत्र के लिए स्टाक रजिस्टर;

(6) रसीद पुस्तकें;

(7) अनुदान के रजिस्टर;

(8) व्हाउचर नस्तियां;

(9) उपस्थिति रजिस्टर;

(10) अवकाश लेखाओं का रजिस्टर;

(11) परिषद् की अंशदायी भविष्य निधि के संधारण के लिए अपेक्षित रजिस्टर;

(12) सेवा पुस्तकें और;

(13) ऐसे अन्य रजिस्टर जो कि आवश्यक हों.